34

समक्षः—न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर (मध्य प्रदेश)
प्रकरण कमांक............/2016 पुर्नअवलोकन R-3238-I-16

अमरदेव पुत्र श्री किशनलाल जाट उम्र 40 साल निवासी ग्राम नागदा हाल निवासी तलावदा तहसील व जिला श्योपुर (म0प्र0)

..........................आवेदक

बनाम

1—म0प्र0शासन जर्ये कलेक्टर श्योपुर जिला श्योपुर (म0प्र0)

2—पटवारी मौजा हल्का नं0—30 ग्राम नागदा तहसील व जिला श्योपुर (म0प्र0)

..................अनावेदकगण

श्री पी.के. तिवारी द्वारा आज दि. 21-9-16 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 21/9/16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

21-9-16

5
21-9-16

**<u>पुर्नअवलोकन विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 14.12.09 प्रकरण कमांक निगरानी 844/2—/07 अमरदेव बनाम शासन न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)</u>**

माननीय महोदय,

आवेदक की और से पुर्नअवलोकन आवेदन निम्न प्रकार प्रस्तुत हैः—

1— यह कि आवेदक ने अपर आयुक्त चम्बल सम्भाग द्वारा प्रकरण कमांक 64/2001—02 निगरानी मे पारित आदेश दिनांक 27.2.07 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की थी जिसे इस न्यायालय द्वारा गुण दोषो पर विचार किये बिना निरस्त कर दिया गया जो विधि विधान के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2— यह कि आवेदक को भू—दान यज्ञ बोर्ड द्वारा दिनांक 8.9.92 को ग्राम नागदा स्थित भूमि सर्वे कमांक 1026 रकवा 5 बीघा 19 बिस्वा का पटटा प्रदान किया गया तथा उसी समय से आवेदक उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करता

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक रिव्यु 3238–एक/16 जिला –श्योपुर

| स्थान दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 21–12–17 | आवेदक अधिवक्ता श्री पी0 के0 तिवारी उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता ने प्रकरण की ग्राह्यता पर तर्क प्रस्तुत किये। आवेदक के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये तथा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया।<br>2–यह रिव्यु आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निग0 844–दो/07 में पारित आदेश दिनांक 14.12.09 के विरूद्व प्रस्तुत प्र0 क0 रिव्यु 3238–एक/16 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने।<br>3– आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 844–दो/07 में वर्णित है। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 14.12.09 से किया जा चुका है।<br>4– रिव्यु 3238–एक/16 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं। उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:–<br>अ– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक | |

तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

ब– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती।

स– कोई अन्य प्र्याप्त कारण।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। उभय पक्ष सूचित हों। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य